कार्यालयः जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास बरेली।

पत्रांक / /जि0का0का0/बा0वि0परि0/आ0वा0सहा0 विज्ञप्ति/2026–27 दिनांक 08 सितम्बर 2026

आंगनवाड़ी सहायिकाओं के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या–1/1092245/2025/3313/58–1–2025 (197687) बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, अनुभाग–2 लखनऊ दिनांक 17 सितम्बर 2025 में वर्णित व्यवस्थानुसार जनपद बरेली के शहरी/ग्रामीण परिक्षेत्र में संचालित बाल विकास परियोजना– आलमपुर जाफराबाद, बहेड़ी, भोजीपुरा, भुता, बिथरी चैनपुर, फरीदपुर, फतेहगंज पश्चिमी, क्यारा,मझगवां,मीरगंज,नवाबगंज,रामनगर, शेरगढ़ एवं शहर बरेली में आंगनबाड़ी सहायिका के चयन हेतु मानदेय पर आधारित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सीधी भर्ती प्रक्रिया के तहत विभागीय वेबसाइट http://upanganwadibharti.in पर पात्र महिला अभ्यर्थियों से आनलाइन आवेदन–पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

क्र.सं0	परियोजना का नाम	आंगनवाड़ी सहायिकाओं के कुल रिक्त पदों का आरक्षणवार विवरण			
		अनुसूचित जाति/जनताति	अन्य पिछड़ा वर्ग	सामान्य/ अनारक्षित	कुल रिक्त पदों की सं0
1	2	3	4	5	6
1	आलमपुर जाफराबाद	7	6	8	21
2	बहेड़ी	3	6	6	15
3	भदपुरा	0	0	0	0
4	भोजीपुरा	0	2	5	7
5	भुता	4	2	2	8
6	बिथरी चैनपुर	1	5	3	9
7	दमखोदा(रिछा)	0	0	0	0
8	फरीदपुर	2	5	2	9
9	फतेहगंज पश्चिमी	4	2	5	11
10	क्यारा	2	1	6	9
11	मझगवां	10	8	11	29
12	मीरगंज	0	0	3	3
13	नवाबगंज	2	3	3	8
14	रामनगर	3	1	5	9
15	शेरगढ़	5	4	6	15
16	बरेली नगर/शहर	1	6	11	18
योग–		44	51	76	171

उपरोक्त पदों का ग्रामसभा/वार्डवार/आंगनवाड़ी केन्द्रवार विवरण एवं आरक्षण सहित अर्हता का पूर्ण विवरण कलेक्ट्रेट,विकास भवन,तहसील एवं विकास खण्ड इत्यादि कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा है साथ ही विभागीय वेबसाइट http://upanganwadibharti.in पर अपलोड है।

विज्ञप्ति पदों की अर्हता एवं आवेदन पत्र भरने हेतु विशेष निर्देशः–

1. विज्ञापित पदों हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होगी।
2. आंगनवाड़ी सहायिका के पद हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट या उसके समकक्ष होगी एवं अधिकतम योग्यता परास्नातक होगी।
3. आंगनवाड़ी सहायिका पद हेतु आवेदिका की न्यूनतम आयु 18 वर्ष व अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी। कटऑफ डेट का निर्धारण दिनांक 01 जुलाई 2026 होगा/आयु के सम्बन्ध में हाईस्कूल अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी।
4. आवेदिका को रिक्त पद के वार्ड/ग्रामसभा की स्थायी निवासी होना अनिवार्य होगा। ग्राम सभा में उक्त श्रेणी में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में सम्बन्धित न्यायपंचायत का स्थायी निवासी होना अनिवार्य होगा। नगरीय क्षेत्र में रिक्त पदों पर आवेदन करते समय आनलाइन जारी निवास प्रमाण पत्र में सम्बन्धित वार्ड क्रमांक/संख्या एवं सम्बन्धित वार्ड का नाम अनिवार्य रुप से अंकित होना चाहिए।

चयन वरीयता

(I) उसी ग्राम सभा/वार्ड की निवासी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा महिला।

(II) ग्राम सभा/वार्ड की निवासी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की विधिक तलाकशुदा या परित्यकता महिला।

(III) विधवा/तलाकशुदा/परित्यकता महिला के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की अभ्यर्थी न मिलने पर उसी ग्रामसभा/वार्ड की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की महिलाएं।

उपरोक्तानुसार कोई अभ्यर्थी न मिलने पर उपरोक्त वरीयता के क्रम में ही–

(I) उसी ग्राम सभा/वार्ड की निवासी गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा महिला।

(II) ग्राम सभा/वार्ड की निवासी गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार की विधिक तलाकशुदा या परित्यकता महिला।

(III) विधवा/तलाकशुदा/परित्यकता महिला के गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार की अभ्यर्थी न मिलने पर उसी ग्राम सभा/वार्ड की गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार की महिलाएं।

5. विधवा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी/समबन्धित नगर निकाय द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र एवं परिवार पंजिका की प्रमाणित नकल मान्य होगी। तलाकशुदा/परित्यकता के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय द्वारा निर्गत विधिक आदेश मान्य होगें।
6. आय प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में उ0प्र0 शासन के राजस्व अनुभाग–9 द्वारा नर्गत शासनोदश संख्या–3959/1–9–11–राज0–9 दिनांक 30.09.2021 (यथा संशोधित) के क्रम में सक्षम स्तर से निर्गत आय प्रमाण पत्र ही मान्य होगें, जिनका आनलाइन सत्यापन सम्भव हो।
7. निवास एवं जाति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में तहसील से आनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत निवास व जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगें जिनका आनलाइन सत्यापन सम्भव हो।
8. गरीबी रेखा की आय सीमा का पुर्निधारण किये जाने के सम्बन्ध में समाज कल्याण अनुभाग–2 उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 22/2015/2123/26–2–2015 दिनांक 14 सितम्बर 2015 (यथा संशोधित) द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा हेतु का अनुपालन किया जायेगा।
9. आय प्रमाण पत्र विज्ञप्ति जारी दिनांक से 03 वर्ष पूर्व का निर्गत मान्य नहीं होगा।
10. बी0पी0एल0 आय प्रमाण पत्र की सीमा ग्रामीण क्षेत्र हेतु रुपये 46080 एवं शहीरी क्षेत्र हेतु 56460 होगी।
11. आवेदन पत्र विभागयी वेबसाइट http://upanganwadibharti.in पर उपलब्ध फार्मेट पर आनलाइन व सही–सही सावधनीपूर्वक भरे जायेंगे। आवेदिका द्वारा अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित प्रति, जो स्वच्छ व पठनीय हो, अपलोड की जायेगी, जिनका उल्लेख उनके द्वारा आनलाइन फार्म में किया गया हो।
12. आनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि 29.09.2026 होगी।
13. कोई भी आवेदन या अभिलेख/प्रपत्र ऑफलाइन या डाक द्वारा मान्य नहीं होगें। यदि आवेदन करने में कोई त्रुटि होती है या कोई तथ्य/आंकड़े/शैक्षिक अभिलेखों के प्राप्तांक/पूर्णांक गलत या कूटरचित पाए जाएंगे, तो अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।
14. रिक्त पदों का विवरण कलेक्ट्रेट परिसर, विकास भवन परिसर, तहसील परिसर, खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय के सूचना पट, बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालयों के सूचना पट एवं विभागीय वेबसाइट http://upanganwadibharti.in पर देखा जा सकता है।

नोटः– रिक्तियों के सम्बन्ध में यदि कोई त्रुटि होगी तो चयन समिति द्वारा लिया गया निर्णय ही मान्य होगा। रिक्तियों की संख्या घट या बढ़ सकती है। रिक्त पदों पर भर्ती करने अथवा न करने/भर्ती निरस्त करने का अधिकारी चयन समिति में निहित होगा।

(मनोज कुमार)
जिला कार्यक्रम अधिकारी
बरेली।